



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26032025-261953
CG-DL-E-26032025-261953

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 1
PART III—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4]
No. 4]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 25, 2025/ चैत्र 4, 19467
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 25, 2025/ CHAITRA 4, 1947

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2025

फा. सं. 2022/ईएंडआर/1(3)/9.—एतद्वारा आम सूचना के लिए अधिसूचित किया जाता है कि परिचालनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि पश्चिम मध्य रेलवे के कटंगीखुर्द (केटीकेडी) स्टेशन और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के झलवारा (जेएलडब्ल्यू) स्टेशन के बीच नई कॉर्ड लाइन के संबंध में, ईएसपी सीएच:0.00 से ईएसपी सीएच:178.26 मीटर (122बी का एसआरजे) की क्षेत्राधिकार सीमा पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल के अंतर्गत होगी और ईएसपी सीएच:178.26 मीटर (122बी का एसआरजे) से ईएसपी सीएच:1150.00 मीटर की क्षेत्राधिकार सीमा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के अंतर्गत होगी।

उपरोक्त क्षेत्राधिकार कॉर्ड लाइन को कमीशन किए जाने की तिथि से प्रभावी होगा।

अरुणा नायर, सचिव

MINISTRY OF RAILWAYS**(Railway Board)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th March, 2025

F. No. 2022/E&R/1(3)/9.—It is hereby notified for general information that keeping in view the operational requirements, Central Government has decided that with respect to the new chord line between Katangikhurd (KTKD) station of West Central Railway and Jhalwara (JLW) station of South East Central Railway, the jurisdiction from ESP CH:0.00 to ESP CH: 178.26m (SRJ of 122B) will lie with Jabalpur division of West Central Railway and from ESP CH:178.26m (SRJ of 122B) to ESP CH:1150.00m will lie with Bilaspur division of South East Central Railway.

Above jurisdiction will come into force with effect from the date of commissioning of chord line.

ARUNA NAYAR, Secy.